29/8/17 वकील वादी के आवेदन पर पत्रावली अग्रिम पेश हुई। आपत्ति स्वयं अपनी रकबे का रकबा वादी भाटियों विडोल खातेदार हो रहा है। वाद खातेदार होने से एक आर्थिक पक्ष का कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता है। अतः आर्थिक पक्ष खातेदार मिलना जाता है पत्रावली डिसमिस होना पात्र प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner